न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–16/2022

जी.सी..एम.एस. पोर्टल नम्बर –2022/21

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नाथुराम पुत्र दयालाराम जाति जाट निवासी ग्राम सींवा तहसील लाडनूं जिला नागौर, राज0 उचित मूल्य दुकान कोड नं. 22220(दुकान का नाम सींवा)		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कडवा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।

निर्णय **दिनांक–** 01-11-2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर के द्वारा पारित आदेश कमांक–रसद/प्राधिकार/2019/1980 दिनांक 20.12.2019 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलांट को नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार, सींवा तहसील लाडनूं का प्राधिकार पत्र रसद विभाग द्वारा जारी किया हुवा है व अपीलांट नियमानुसार पूर्ण निष्ठा, मेहनत व ईमानदारी से उक्त कार्य करता रहा, अपीलांट के विरूद्व कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता की नहीं रही थी न ही हस्तगत पत्रावली में ऐसी कोई शिकायत है। हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, चूंकि अपीलांट नियमानुसार लगातार उचित मुल्य की दुकान को बिना किसी बाधा के संचालित करता रहा लेकिन इसी दौरान अपीलांट को पीलिया आदि की बीमारी हो जाने व स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण दुकान संचालन में बाधा उत्पन्न होने लगी, जिससे दिनांक 1.9.2014 से स्वास्थ्य कारणों के चलते अपीलांट ने अवकाश प्राप्त किया था व उसे नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात अपीलांट ने अपना ईलाज करवाया व स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर जिला रसद अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अब वह पुनः स्वस्थ हो चुका है। इसलिए उचित मूल्य दुकान पोश 22220 का संचालन करने को तैयार हूँ तथा राजकीय चिकित्सालय लाडनूं द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर मुझे स्वस्थ घोषित किया है जिससे अवकाश उपरांत पुनः उचित मूल्य दुकान का चार्ज दिलाया जावे, जिस पर अपीलांट को पुनः चार्ज नहीं दिया गया। अपीलांट लगातार चक्कर काटता रहा व अपीलांट को आश्वासन दिया जाता रहा मगर पुनः चार्ज नहीं देने पर अपीलांट ने दिनांक 8.9.2020 को रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी उचित मुल्य दुकानदार नाथुराम सींवा का पहले स्वास्थ्य खराब था जो कि अब ठीक हो गया है तथा उक्त दुकान संभालन के लिए तैयार हूँ मेरे को इसकी अनुमति दिलाने का आदेश करावे, दुकान का एलोटमेंट दिलाया जावे व आदेश क्रमांक 525 की प्रति संलग्न की गयी। इतना ही नहीं श्री वीरेन्द्र जाखड़ ई.आई. लाडनूं ने भी श्रीमान जिला रसद अधिकारी नागौर को रिपोर्ट पेश की कि उचित मूल्य दुकानदार सींवा(22220) श्री नाथुराम ने दिनांक

कलक्टर, नागौर

1.9.2014 से स्वास्थ्य कारणो से अवकाश ग्रहण किया था, उक्त एफ.पी.एस. को कार्यालय जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश क्रमांक रसद/प्राधिकार/2019/1980 दिनांक 20.12.2019 को सींवा ग्राम पंचायत में संचालित अन्य एफ.पी.एस. 30098 जो कि श्रीमती कमलेश कंवर द्वारा संचालित है, उसमें मर्ज कर दी गई, अब पुनः श्री नाथूराम पुत्र दयालाराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना स्वास्थ्य ठीक(अस्पताल लाडनूं का फिटनेस प्रमाण पत्र दिनांक 28.8.2020) होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और दुकान के पुनः संचालन की अनुमति मांगी है अतः निवेदन है कि नियमानुसार उक्त मर्जर को निरस्त कर पुनः श्री नाथूराम को एफ.पी.एस. संचालन करने हेतु अभिशंषा की जाती है, रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है। इस प्रकार श्री वीरेन्द्र जाखड़ ई.आई. लाडनूं ने भी अपनी रिपोर्ट/अभिशंषा जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रस्तुत की गयी थी तथा अन्य अभिशंषा भी पेश की गयी। जिस पर अपीलांट को मर्जर निरस्त कर पुनः एफ.पी.एस. संचालन हेतु अनुमति का आदेश देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन कार्यालय जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश क्रमांक/रसद/ प्राधिकार/2019/1980 दिनांक 20.12.2019 के जरिये किये गये मर्जर को निरस्त नहीं किया व दुकान कोड नं. 22220 को दुकान कोड नं. 30098 कमलेश कंवर सीवा में समावेश करने का आदेश पुख्ता कर दिया, जिसके संबंध में किसी प्रकार की सूचना/आदेश की प्रति आदि अपीलांट को नहीं दी गयी व समावेश करने से पूर्व अपीलांट को सुना तक नहीं, जिस कारण अपीलांट ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एवं तत्श्चात आदेश की प्रमाणित प्रति हाल ही में प्राप्त करने पर पुरी जानकारी हाल ही में होने से उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है, जो उपरोक्त परिस्थितियो में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

3. प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया की अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का न्यायहित में मेरिट पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित है।

5. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार, सींवा तहसील लाडनूं का प्राधिकार पत्र रसद विभाग द्वारा जारी किया हुवा है व अपीलांट नियमानुसार पूर्ण निष्ठा, मेहनत व ईमानदारी से उक्त कार्य करता रहा, अपीलांट के विरूद्व कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता की नहीं रही थी न ही हस्तगत पत्रावली में ऐसी कोई शिकायत है। हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, चूंकि अपीलांट नियमानुसार लगातार उचित मुल्य की दुकान को बिना किसी बाधा के संचालित करता रहा लेकिन इसी दौरान अपीलांट को पीलिया आदि की बीमारी हो जाने व स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण दुकान संचालन में बाधा उत्पन्न होने लगी, जिससे दिनांक 1.9.2014 से स्वास्थ्य कारणों के चलते अपीलांट ने अवकाश प्राप्त किया था व उसे नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात अपीलांट ने अपना ईलाज करवाया व स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर जिला रसद अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अब वह पुनः स्वस्थ हो चुका है इसलिए उचित मूल्य दुकान पोश 22220 का संचालन करने को तैयार हूँ तथा राजकीय चिकित्सालय लाडनूं द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर मुझे स्वस्थ घोषित किया है जिससे अवकाश उपरांत पुनः उचित मूल्य दुकान का चार्ज दिलाया जावे। तत्पश्चात कार्यालय जिला रसद अधिकारी नागौर आदेश क्रमांक रसद/अभि./2014/दिनांक 27.8.2014 को पारित किया गया कि श्री नाथूराम उचित मूल्य दुकानदार, सींवा तहसील लाडनूं का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से इस कार्यालय स्तर से अवकाश स्वीकृत किया गया था। चूंकि श्री नाथूराम उचित मूल्य दुकानदार सींवा द्वारा अब स्वस्थ होकर पुनः उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु निवेदन किया है अतः श्री नाथूराम उचित मूल्य दुकानदार सींवा तहसील लाडनूं को उचित मूल्य दुकान संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त आदेश की प्रतियां सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी लाडनूं, प्रवर्तन निरीक्षक लाडनूं को भेज कर तत्काल स्टॉक का हस्तान्तरण करने का लिखा गया व एक प्रति अपीलांट को भी भेजी

कलक्टर, नागौर

जाना लिखा गया। अपीलांट को पुनः चार्ज नहीं दिया गया। अपीलांट लगातार चक्कर काटता रहा व अपीलांट को आश्वासन दिया जाता रहा मगर पुनः चार्ज नहीं देने पर अपीलांट ने दिनांक 8.9.2020 को रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी उचित मुल्य दुकानदार नाथुराम सींवा का पहले स्वास्थ्य खराब था जो कि अब ठीक हो गया है तथा उक्त दुकान संभालने के लिए तैयार हूँ मेरे को इसकी अनुमति दिलाने का आदेश करावे, दुकान का एलोटमेंट दिलाया जावे व आदेश क्रमांक 525 की प्रति संलग्न की गयी। इतना ही नहीं श्री वीरेन्द्र जाखड़ ई.आई. लाडनूं ने भी श्रीमान जिला रसद अधिकारी नागौर को रिपोर्ट पेश की कि उचित मूल्य दुकानदार सींवा(22220) श्री नाथुराम ने दिनांक 1.9.2014 से स्वास्थ्य कारणो से अवकाश ग्रहण किया था, उक्त एफ.पी.एस. को कार्यालय जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश क्रमांक रसद/प्राधिकार/ 2019/1980 दिनांक 20.12.2019 को सींवा ग्राम पंचायत में संचालित अन्य एफ. पी.एस. 30098 जो कि श्रीमती कमलेश कंवर द्वारा संचालित है, उसमें मर्ज कर दी गई, अब पुनः श्री नाथूराम पुत्र दयालाराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना स्वास्थ्य ठीक(अस्पताल लाडनूं का फिटनेस प्रमाण पत्र दिनांक 28.8.2020) होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और दुकान के पुनः संचालन की अनुमति मांगी है अतः निवेदन है कि नियमानुसार उक्त मर्जर को निरस्त कर पुनः श्री नाथूराम को एफ.पी.एस. संचालन करने हेतु अभिशंषा की जाती है, रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है। इस प्रकार श्री वीरेन्द्र जाखड़ ई.आई. लाडनूं ने भी अपनी रिपोर्ट/अभिशंषा जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रस्तुत की गयी थी तथा अन्य अभिशंषा भी पेश की गयी। जिस पर अपीलांट को मर्जर निरस्त कर पुनः एफ.पी.एस. संचालन हेतु अनुमति का आदेश देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन कार्यालय जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश क्रमांक/रसद/प्राधिकार/2019/1980 दिनांक 20.12.2019 के जरिये किये गये मर्जर को निरस्त नहीं किया व दुकान कोड नं. 22220 को दुकान कोड नं. 30098 कमलेश कंवर सींवा में समावेश करने का आदेश पुख्ता रख दिया, जिसके संबंध में किसी प्रकार की सूचना!/आदेश की प्रति आदि अपीलांट को नहीं दी गयी व समावेश करने से पूर्व अपीलांट को सुना तक नहीं। जिस कारण अपीलांट ने उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

5(1)–अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर की उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलांट की अनुपस्थिति में उसको बिना सुने एकतरफा में दबाव व प्रभाव के चलते की होने से उक्त मर्जर आदेश विधि सम्मत नहीं है।

5(2)–अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2019 इस आधार पर जारी किया है कि लम्बे समय से रिक्त चल रही दुकान को नजदीकी उचित मूल्य दुकान के साथ समावेश/मर्ज की जाती है जबकि अपीलांट की उक्त दुकान अकारण कतई रिक्त नहीं चल रही थी, अपीलांट सदेव नियमानुसार दुकान संचालित करता रहा है लेकिन अचानक पीलिया आदि की बीमारी से ग्रसित होने पर विधिवत अवकाश लेकर अपना ईलाज करवाने लगा जिस पर अपीलांट के स्वस्थ होने तक चार्ज अन्य को दिया गया था, तत्पश्चात अपीलांट ईलाज लेकर स्वस्थ होने पर बिना देरी के पुनः दुकान का चार्ज देने का निवेदन कर दिया व स्वास्थ्य ठीक होने बाबत अस्पताल से प्राप्त प्रमाण पत्र भी पेश कर दिया था तो ऐसी स्थिति में अपीलांट की उचित मूल्य दुकान कोड नं. 22220 को दुकान कोड नं. 30098 में मर्ज करना कतई उचित व विधि सम्मत नहीं था न है। चूंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर बीमार नहीं होता है अचानक कोई बीमारी हो जाने व स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर छोटे से लेकर बड़े पद तक के कार्मिक, अधिकारी, मजदूर, डीलर आदि को बीमारी के ईलाज हेतु अवकाश लेना पड़ता है और उस स्थिति में उसकी सेवाएं समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि इस संबंध में नर्मी का रुख अपनाया जाना चाहिए। जबकि प्रकरण हाजा में तो अपीलांट ने ईलाज लेकर तत्परता बरतते हुऐ स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र पेश कर दुकान का चार्ज वापिस देने का निवेदन यथाःसमय कर दिया व इस संबंध में अभिशंषाऐ/रिपोर्ट भी जिला रसद अधिकारी को पेश हुई है व अपीलांट ने भी आवेदन के जरिये व मौखिक रूप से निवेदन किया है इसके बावजूद उसकी दुकान के मर्जर को निरस्त नहीं करने में भारी कानुनी व वाकियाती त्रुटि की है।

5(3)–अपीलांट ने एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ट मेहनती उचित मुल्य दुकानदार के रूप में कार्य किया है उसके विरूद्व आज तक किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता की नहीं रही है

कलक्टर, नागौर

केवल मात्र उसके अचानक बीमार हो जाने के कारण उसे अवकाश लेना पड़ा व ईलाज करवाना पड़ा, यदि अवकाश लेकर ईलाज नहीं करवाता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, ऐसी स्थिति में एक बीमार उचित मुल्य दुकानदार के प्रति नर्मी का रूख अपनाने की बजाय उसकी सेवाएं समाप्त करने का कठोर आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखने योग्य नहीं है।

5(4)–अपीलांट को दिनांक 30.12.2000 को उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र क्रम सं. 427/2000 जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा ग्राम सीवा की उचित मूल्य दुकान का लाईसेंस जारी किया गया जो प्रभावी हुआ, रहा व है तथा अपीलांट सन 2000 से लगातार सन 2014 तक यानि 14 वर्षो तक नियमित सही तरीके से सेवाएं प्रदान करता रहा मगर इसी दरम्यान स्वास्थ्य ठीक नहीं होने व पीलिया जैसी गंभीर बीमारी होने के कारण ही अपीलांट ने आवेदन देकर जब तक वापिस स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक के लिए विभाग से अवकाश लिया था तथा अस्वस्थ होने के सारे दस्तावेजात अपीलांट ने विभाग व जिला रसद अधिकारी को पेश कर दिये तथा अपीलांट को जारी किये गये प्राधिकार का कार्य सुपुर्द करने के लिए पिछले दो–तीन सालो से लगातार चक्कर लगाता रहा है मगर आजकल आजकल करते हुऐ आश्वासन दिये जाते रहे है व कालान्तर में बाले बाले एकाएक जिला रसद अधिकारी श्री पार्थ सारथी ने अपने रिश्तेदार कमलेशकंवर के नाम से उक्त दुकान को एलोट कर दी है। जबकि कथित कमलेश कंवर विवाहित है जिसका विवाह सन 2018 सीकर में हो चुका है इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी श्री पार्थ सारथी ने अपने रिश्तेदार कमलेश कंवर के नाम से दिनांक 20.12.2019 को गलत तरीके से लाईसेंस जारी कर दिया, जबकि कमलेशकंवर तो अपने ससुराल में रहती है तथा अपीलांट के नाम से जो मशीने थी वो जिला रसद अधिकारी नागौर के यहां जमा पड़ी है। ऐसी स्थिति में भी कथित मर्जर आदेश निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल कर अपीलांट के नाम पुनः एलोट व चार्ज दिलवाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

5(5)–अपीलांट के नाम से विधिवत जारी प्राधिकार पत्र की सिक्योरिटी राशी भी विभाग में जमा है तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र भी निरस्त नहीं हुआ है मगर गलत तरीके से बिना सुनवाई किये दुकान कोड नं. 22220 को दुकान कोड नं. 30098 में मर्ज करने का आदेश दिया गया है जिसका कोई ठोस कारण भी आदेश में नहीं लिखा है मात्र लम्बे समय से दुकान रिक्त होना लिखा है जबकि लम्बे समय से दुकान रिक्त कतई नहीं रही है अपीलांट ने विधिवत अवकाश स्वीकृत करवा कर बीमारी का ईलाज करवाया और जैसे ही स्वस्थ हुआ तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पेश कर वापिस चार्ज देने का निवेदन कर दिया है ऐसी स्थिति में उक्त दुकान को लम्बे समय से रिक्त चलना नहीं माना जा सकता है यथाःसमय चार्ज अपीलांट को वापिस नहीं देकर जानबूझ कर रिक्त दर्शाने का प्रयास किया है ताकि उसकी आड़ में अपीलांट को सदेव के लिए उक्त दुकान से महरूम कर उसको अन्य दुकान में मर्ज किया जा सके, जो अपीलांट ईमानदार डीलर के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है तथा ईमानदार डीलर की अकारण सेवाऐ समाप्त नहीं की जा सकती है यानि उसकी दुकान को अन्य दुकान में मर्ज नहीं किया जा सकता है।

5(6)–विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि यदि कोई दुकान अकारण रिक्त रहती है तो भी संबंधित डीलर को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए व किसी प्रकार का जवाब या पर्याप्त कारण अनुपस्थिति का पत्रावली पर नहीं आता है तो उस बाबत खुलासा तथ्य दर्ज करते हुऐ कोई आदेश पारित किया जाता है जबकि इस प्रकरण में ऐसी कोई विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है अपीलांट ने विधिवत अवकाश घोषित करवाया व बीमारी का ईलाज करवाता रहा और जैसे ही स्वस्थ हुआ तो बाकायदा अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करके पुनः रसद विभाग में आवेदन पेश कर चार्ज देने का निवेदन कर दिया, इसके बावजूद बिना कोई कारण व खुलासा तथ्य दर्ज किये ही उक्त आदेश सरसरी तौर पर गोलमाल में पारित कर दिया जो निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

5(7)–रेस्पोडेन्ट ने आदेश जैर अपील पारित करते समय आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की है इसकी किसी प्रकार से व्याख्या नहीं की है और उक्त आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना व नजरअंदाज करते हुऐ आदेश जैर अपील पारित किया है। चूंकि अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था, प्राधिकार पत्र निरस्त भी नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में अपीलांट को जारी दुकान को अन्य दुकान में मर्ज/समावेश करना कतई उचित नहीं है। इस प्रकार अपीलांट की न तो कोई अनियमितता रही है न ही ऐसी कोई शिकायत रही है कि उसकी दुकान को अन्य दुकान में समावेश करना आवश्यक हो, इसके बावजूद ऐसा आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के अनुसार विधि सम्मत नहीं है। इतना ही नहीं सारी कार्यवाही एकतरफा की गयी है। अपीलांट बेरोजगार है, उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी उसी पर है तथा अपीलांट नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है, जिससे आदेश जैर अपील को अपास्त/संशोधित कर अपीलांट को उसकी उचित मुल्य दुकान कोड नं. 22220 का चार्ज दिलवाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। इस संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा जो भी शर्ते अपीलांट पर अधिरोपित की जावेगी उनकी अपीलांट अक्षरशः पालना करने को तैयार होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा पारित मर्जर/समावेश आदेश क्रमांकः रसद/प्राधिकार/2019/1980 दिनांक 20.12.2019 को अपास्त/संशोधित/निरस्त किया जाकर अपीलांट के प्राधिकार पत्र अनुसार जारी दुकान कोड नं. 22220 सींवा तहसील लाडनूं को मर्जर मुक्त कर उसका चार्ज अपीलांट को पुनः दिलवाया जाने व राशन सामग्री पूर्व की भांति वितरण हेतु उपलब्ध करवाने आदि के संबंध में आवश्यक आदेश/निर्देश जारी करने का निवेदन किया।

6–प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने अपीलान्ट की बहस में कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्र कमांक–एफ–17(9)खा.वि./न्याय/2012–II दिनांक 22.10.2019 की पालना में जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा जैर अपील आदेश कमांक–रसद/प्राधिकार/2019/1980 दिनांक 20.12.19 के द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान सींवा दुकान कोड संख्या–22220 को उसी ग्राम पंचायत की उचित मूल्य दुकान कोड नं0 30098 कमलेश कंवर ग्राम सींवा दुकान में समावेशन कर दी गई। उक्त आदेश जैर अपील के संबंध में निवेदन है कि अपीलान्ट ने दिनांक 08.09.2020 जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि दिनांक 01.09.2014 से स्वास्थ्य कारणों के चलते मैने अवकाश प्राप्त किया था, अब में पुनः स्वस्थ होकर उचित मूल्य दुकान पोश मशीन संख्या–22220 का संचालन करने को तैयार हूँ। अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ मेडिकल फिटनेश तथा दिनांक 01.04.2014 को स्वास्थ्य खराब होने से छुट्टी लेने बाबत उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2014 की प्रति प्रस्तुत की जो जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर की पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रवर्तन निरीक्षक श्री विरेन्द्र जाखड़ लाडनूँ द्वारा जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर को दिनांक 14.10.2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर, उचित मूल्य दुकानदार सींवा (22220) अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01.09.2014 से स्वास्थ्य कारणों से अवकाश ग्रहण करना अवगत कराते हुए उक्त दुकान को जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के आदेश कमांक–रसद/प्राधिकार/2019/1980 दिनांक 20.12.2019 से सींवा ग्राम पंचायत में संचालित अन्य उचित मूल्य दुकान 30098 जो कि श्रीमति कमलेश कंवर द्वारा संचालित है, में मर्ज कर दी गई, उक्त मर्जन को निरस्त कर पुनः श्री नाथूराम अपीलान्ट को उचित मूल्य दुकान संचालन करने हेतु अभिशंषा की है। इस प्रकार उक्तानुसार अपीलान्ट द्वारा पूर्व में दिनांक 01.09.2014 से उक्तानुसार अवकाश लिये जाने की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलान्ट द्वारा लम्बे समय से कार्यालय में सम्पर्क नहीं करने के कारण एवं पूर्व में अपीलान्ट द्वारा लिये गये अवकाश की रेस्पोडेन्ट को जानकारी नहीं होने के कारण अपीलान्ट की उक्त उचित मूल्य दुकान सींवा कोड संख्या–22220 को अन्य दुकान में समावेशन करने का आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सूचित नहीं दिया जा सका है। इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण को पुनः अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

7–उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट की उक्त उचित मूल्य दुकान सींवा दुकान कोड संख्या–22220 लम्बे समय से रिक्त होने

कलक्टर, नागौर

के कारण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्र कमांक–एफ–17(9)खा.वि./न्याय/2012–II दिनांक 22.10.2019 की पालना में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा जैर अपील आदेश कमांक–रसद/प्राधिकार/2019/1980 दिनांक 20.12.19 को पारित कर अपीलान्ट की उक्त उचित मूल्य दुकान सींवा दुकान कोड संख्या–22220 को उसी ग्राम पंचायत की उचित मूल्य दुकान कोड नं0 30098 कमलेश कंवर ग्राम सींवा दुकान में मर्ज कर दी गई। उक्त आदेश जैर अपील के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। उक्त संबंध में प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा बहस में किये गये कथनों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान को आदेश जैर अपील पारित करते समय रेस्पोडेन्ट विभाग को अपीलान्ट द्वारा स्वास्थ्य कारणों से उचित मूल्य दुकान ग्राम सींवा के संचालन से 01.09.2014 से अवकाश प्राप्त करने की जानकारी नहीं रही है, और आदेश जैर अपील अपीलान्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस आदि जारी किये बिना एवं साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान को अन्य उचित मूल्य दुकान में मर्ज करने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया। प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा बहस में यह भी कथन किया है कि उक्त प्रकरण को पुनः अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

8–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश जैर अपील कमांक–रसद/प्राधिकार/2019/1980 दिनांक 20.12.19 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण में अपीलान्ट को पुनः नये सिरे से साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

9–निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर